



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-18102024-258043
CG-DL-W-18102024-258043

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, अक्टूबर 6,—अक्टूबर 12, 2024, शनिवार/ आश्विन 14—आश्विन 20, 1946
No. 36] NEW DELHI, OCTOBER 6,—OCTOBER 12, 2024, SATURDAY/ASVINA 14—ASVINA 20, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 137.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उपधारा 2 के खंड (क) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख', योद्धक आयुधिक संवर्ग पद भर्ती नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, समूह 'ख' योद्धक आयुधिक संवर्ग पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में व्यावसायिक चिकित्सक (समूह 'ख' पद), संशोधित भर्ती नियम, 2020-

अनुसूची में-

स्तंभ (7) में, शीर्षक आवश्यक के अधीन: मद (ii) और उसकी प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्: -

(ii) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में व्यावसायिक चिकित्सक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

[फा. सं. ए-11018/34/2019-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डे, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200, तारीख 14 दिसम्बर, 2020, द्वारा प्रकाशित किए गए।

New Delhi, the 30th September, 2024

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist, (Group-B) Recruitment Rules, 2020, namely:

1. Short title and commencement: -(1) These rules may be called the, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist (Group 'B' Post) (Amendment) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Lady Hardinge Medical College and Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Occupational Therapist, (Group 'B' post) Amendment Recruitment Rules, 2020-

In the Schedule, -

In column (7), under heading Essential: for item (ii) and the entry thereto, the following shall be substituted, namely: -

(ii) Two years experience as Occupational Therapist in a recognised hospital or institute.

[F. No. A-11018/34/2019-MH-II]

ABHISHEK PANDEAY, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub – Section (i), vide notification number GSR 200, dated the 14th December, 2020.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 143.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली फार्मेसिस्ट भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, में फार्मेसिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, फार्मेसिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति.-
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फार्मेसिस्ट	30*(2024) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (29200- 92300/- रुपये)। (प्रविष्टि श्रेणी में सेवा के दो वर्ष पूरा होने पर, सभी पदधारियों को अगली उच्चतर श्रेणी में गैर-प्रकार्यात्मक श्रेणी प्रदान की जाएगी।)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(6)	(7)	(8)
18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय)	अनिवार्य: (i) भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी	लागू नहीं होता।

<p>पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण 1: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है।)</p>	<p>विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात दो वर्ष और पांच सौ घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण) में डिप्लोमा ; या</p> <p>भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात चार वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातक ; या</p> <p>भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्म डी (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात छः वर्ष का पाठ्यक्रम)</p> <p>(ii) राज्य फार्मेसी परिषद से रजिस्ट्रीकरण।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>	
--	---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>दो वर्ष।</p> <p>(परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण</p>	<p>सीधी भर्ती।</p> <p>टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या इस से अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:</p> <p>1.अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली</p> <p>-अध्यक्ष;</p> <p>2. संबंधित विभाग के प्रमुख, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

पूरा करना अनिवार्य होगा।)	जा सकेगी। : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु0) में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		-सदस्य; 3. निदेशक या उप निदेशक (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी -सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली -सदस्य।	
---------------------------	---	--	--	--

[फा. सं. ए.11018/21/2020 –एमएच.॥]

अभिषेक पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 30th September, 2024

G.S.R. 143.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi Pharmacist (Group ‘C’ Post) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group ‘C’ Post), Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix. - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pharmacist	*30 (2024) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300). (on completion of two years of service in the entry grade, all the incumbents shall be granted non-functional grade to the next higher grade).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
<p>Essential:</p> <p>(i) Diploma in Pharmacy course (two years and five hundred hours practical training after 10+2 with science subject) from a university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; or</p> <p>Bachelor of Pharmacy Course (four years course after 10+2 with science subject) from a university / Institute approved by the Pharmacy Council of India; Or</p> <p>Pharma D course (six years course after 10+2 with science subject) from a university/Institute approved by the Pharmacy Council of India;</p> <p>(ii) Registration with State Pharmacy council.</p> <p>Note 1.- Qualification(s) are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2.- The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission in the case of</p>	Not applicable.	<p>Two years.</p> <p>Note: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.</p>

candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of the competent authority or the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		
--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
<p>Direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the posts in level 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100), and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).</p>	Not applicable.	<p>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital, New Delhi -Chairman; 2. Head of the concerned Department, Safdarjung Hospital, New Delhi -Member; 3. Director or Deputy Director (Administration), in-charge of Medical Hospital Division in Directorate General of Health Services -Member; 4. Deputy Director (Administration), Safdarjung Hospital, New Delhi -Member. 	Not applicable.

[F. No. A-11018/21/2020-MH-II]

ABHISHEK PANDEAY, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 144.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, तकनीकी पर्यवेक्षक (प्रयोगशाला) और ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला), भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी (चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-